



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2021]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी, 2021

(29 पौष, 1942 शक)

## विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सांका०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2021 दिनांक 18 जनवरी, 2021 हरियाणा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 2021 बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	5-22
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

**भाग – III****हरियाणा सरकार**

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 18 जनवरी, 2021

**संख्या सांका०नि० 2/संवि०/अनु० 309/2021.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**भाग I****सामान्य**

1. (1) ये नियम हरियाणा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।  
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।  
(क) “प्रशासकीय सचिव” से अभिप्राय है, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग;  
(ख) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;  
(ग) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;  
(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;  
(ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—  
(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या  
(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;  
(च) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—  
(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या  
(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो; तथा  
(छ) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा पूर्ति तथा निपटान निदेशालय (ग्रुप क) सेवा।

**भाग II****सेवा में भर्ती**

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा स्वरूप।  
परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।
4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—  
(क) भारत का नागरिक; या  
(ख) नेपाल की प्रजा; या  
(ग) भूटान की प्रजा:  
परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो। सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव केवल उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या भर्ती प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या ब्यालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्धित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, तो 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) अपर निदेशक की दशा में,—

- (i) संयुक्त निदेशक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) संयुक्त निदेशक की दशा में,—

- (i) उप निदेशक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) उप निदेशक की दशा में,—

- (i) सहायक निदेशक में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा: परीक्षा।

परन्तु —

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परीक्षा अवधि में गिनने के लिए अनुज्ञात होगी, और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो —
  - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
  - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, नियमित रिक्ति पर उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो, तो —
  - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
  - (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर, उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी: ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निश्चित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- 12.** (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।
- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़, कोई कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

- 13.** (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए गए हों। (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोड़कर)

- (2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवानिवृत्त होता है, तो अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,—

- (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या
- (ii) वास्तविक अवधि जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या
- (iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है निम्नलिखित में से कोई एक है,—

- (क) जिसके लिए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर अनुसंधान या विशिष्ट योग्यता या अनुभव अनिवार्य है; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं :

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी —

(i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नति द्वारा ;

(ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है :

परन्तु उपरोक्त उपनियम (2) के उपबन्ध, सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किये गए हों।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्पूर्वी नियुक्ति को भी लागू होगी :

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

**टिप्पण.—** इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

**14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य, समय-समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे:

अनुशासन,  
शास्तियां तथा  
अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

**15.** सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब कभी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा। टीका लगवाना।

**16.** सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी। राजनिष्ठा की शपथ।

**17.** जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।

**18.** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबंध।

**19.** इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय-समय पर, जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	अपर निदेशक	02	एफ०पी०एल०-14, सैल-1 ₹ 1,18,500/-
2	संयुक्त निदेशक	01	एफ०पी०एल०-13, सैल-1, ₹ 88,400/-
3	उप निदेशक	01	एफ०पी०एल०-12, सैल-1, ₹ 78,800/-

## परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अपर निदेशक	...	<p><b>पदोन्नति द्वारा—</b> संयुक्त निदेशक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p><b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—</b></p> <p>(i) संयुक्त निदेशक / अधीक्षक अभियंता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरी / उत्पादन इंजीनियरी / टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी / टैक्सटाईल रसायन इंजीनियरी / इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि; तथा</p> <p>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</p>
2.	संयुक्त निदेशक	...	<p><b>पदोन्नति द्वारा—</b> उप निदेशक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p><b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,—</b></p> <p>(i) उप निदेशक / कार्यकारी अभियंता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरी / उत्पादन इंजीनियरी / टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी / टैक्सटाईल रसायन इंजीनियरी / इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि; तथा</p> <p>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</p>
3.	उप निदेशक	...	<p><b>पदोन्नति द्वारा—</b> सहायक निदेशक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;</p> <p><b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा,—</b></p> <p>(i) सहायक निदेशक / उपमण्डल अभियंता / सहायक कार्यकारी अभियंता / सहायक अभियंता के रूप में आठ वर्ष का अनुभव;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरी / उत्पादन इंजीनियरी / टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी / टैक्सटाईल रसायन इंजीनियरी / इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी / इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि; तथा</p> <p>(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।</p>



## परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए संशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1. 2. 3.	अपर निदेशक संयुक्त निदेशक उप निदेशक	सरकार	(I) लघु शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। (II) बड़ी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	सरकार	सरकार।

## परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1 2 3	अपर निदेशक संयुक्त निदेशक उप निदेशक	(I) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;  (II) सेवा के सदस्यों की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	सरकार।

अपूर्व कुमार सिंह,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**  
**INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th January, 2021

**No G.S.R. 2/ Const./Art. 309/2021.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group A) Service, namely:—

**PART 1**

**GENERAL**

Short Title and  
Commencement.

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group A) Service Rules, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Definitions.

**2.** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Administrative Secretary” means the Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department;

(b) “Commission” means the Haryana Public Service Commission;

(c) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(e) “institution” means, -

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(f) “recognized university” means, -

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university, which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(g) “Service” means the Haryana Supplies and Disposals Directorate (Group A) Service.

**PART- II - RECRUITMENT TO SERVICE**

Number and  
Character of  
posts.

**3.** The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to, make additions to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.

Nationality,  
domicile and  
character of  
candidates  
appointed to  
service.

**4.** (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university; college, school or institution, last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-one years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of applications to the Commission or recruiting authority. Age.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he/she is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment: Qualifications and experience.

Provided that in case of direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxed to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case of sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Serviceman and Physically Handicap candidates possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,— Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,— Method of recruitment.

(a) in the case of Additional Director,—

(i) by promotion from amongst the Joint Director; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Joint Director,—

(i) by promotion from amongst the Deputy Director; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Deputy Director,—

(i) by promotion from amongst the Assistant Director ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise: Probation.

Provided that,—

(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
  - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who had so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
    - (i) revert him to his former post; or
    - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may,-
- (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, against regular vacancy; or
  - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,-
    - (i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
    - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

**11.** Seniority, inter-se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Services, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, than by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

**12.** (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority. Liability to serve.

(2) A member of Service may also be deputed to service as under,-

- (i) Chandigarh Administration, Chandigarh, a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, Municipal Corporation or local authority or university within the State of Haryana; or
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

**13.** (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature: Pay, leave, pension and other matters.

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1<sup>st</sup> January, 2006 (except death-cum-retirement gratuity and leave encashment).

(2) A Government employee who retires from a Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),-

- (i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his Service; or
- (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty - five years; or
- (iii) a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one,-
  - (a) for which post graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and
  - (b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee,-

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement:

Provided that the provision of above said sub-rule(2) shall not be applicable to those member of Service who appointed on or after the 1<sup>st</sup> January 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2) He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

**Note.**— The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department in consultation with the Finance Department.

Discipline,  
penalties and  
appeals.

**14.** (1) In matters, relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

**15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government directs by a special or general order.

Oath of  
allegiance.

**16.** Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by established law.

Power of  
relaxation.

**17.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of employees.

Special  
provision.

**18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of promotion/appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

**19.** Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution of India.

**APPENDIX A***(see rule 3)*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Number of Posts</b>	<b>Scale of pay</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Additional Director	02	F.P.L.,14, Cell-1 ₹1,18,500/-
2	Joint Director	01	F.P.L.,13, Cell- 1 ₹88,400/-
3	Deputy Director	01	F.P.L.,12, Cell-1 ₹78,800/-



**APPENDIX-B***(see rule 7)*

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Additional Director	-	<p><b>By promotion,-</b> Five years experience as Joint Director ;</p> <p><b>By transfer or deputation,-</b> (i) Five years experience as Joint Director/ Superintending Engineer; (ii) Ist Class Bachelor's Degree in Mechanical Engineering / Production Engineering/ Textile Technology / Textile Chemistry Engineering / Electrical Engineering / Electronics and Communication Engineering from a recognized university or institution; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</p>
2	Joint Director	-	<p><b>By promotion,-</b> Five years experience as Deputy Director ;</p> <p><b>By transfer or deputation,-</b> (i) Five years experience as Deputy Director/ Executive Engineer; (ii) Ist Class Bachelor's Degree in Mechanical Engineering / Production Engineering/ Textile Technology/ Textile Chemistry Engineering/ Electrical Engineering / Electronic and Communication Engineering from a recognized university or institution; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</p>
3	Deputy Director	-	<p><b>By promotion,-</b> Eight years experience as Assistant Director ;</p> <p><b>By transfer or deputation,-</b> (i) Eight years experience as Assistant Director/ Sub Divisional Engineer /Assistant Executive Engineer/ Assistant Engineer; (ii) Ist Class Bachelor's Degree in Mechanical Engineering / Production Engineering/ Textile Technology / Textile Chemistry Engineering/ Electrical Engineering / Electronic and Communication Engineering from a recognized university or institution; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.</p>

**APPENDIX C***[see rule 14(1)]*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Appointing authority</b>	<b>Nature of penalty</b>	<b>Authority empowered to impose penalty</b>	<b>Appellate authority</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1 2 3	Additional Director Joint Director Deputy Director	Government	<b>(I) Minor Penalties-</b> As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.  <b>(II) Major Penalties-</b> As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Government	Government

**APPENDIX D***[see rule 14(2)]*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of post</b>	<b>Nature of order</b>	<b>Authority empowered to make the order</b>	<b>Appellate authority</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1 2 3	Additional Director Joint Director Deputy Director	(i) reducing or with-holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension.  (ii) terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	Government.

APOORVA KUMAR SINGH,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Industries and Commerce Department.